पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13754

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1091

= =

विजय शर्मा, पिता– श्री रामदीन मिस्त्री गाँव–लखनु बीघा, पोस्ट–उगावन, थाना–अस्थावन, जिला – नालंदा, बिहार–811103 के निवासी।

... ...याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला मजिस्ट्रेट–सह–समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ।
3. उप–समाहर्ता भूमि सुधार, नालंदा, बिहारशरीफ।
4. अंचलाधिकारी, अस्थावन, नालंदा।
5. अचल अमीन, अस्थावन, नालंदा।
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्षेत्र प्रबंधक (एलपीजी), पटना के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।
7. उप प्रबंधक (एलपीजी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहारशरीफ।
8. सहायक प्रबंधक, विक्रय (एलपीजी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहारशरीफ (पीवीसी समिति)।

.... उत्तरदाता/प्रतिवादी

= =

यह एल.पी.ए. (लंबित अपील) माननीय एकल न्यायधीश के आदेश दिनांक 27/07/2018 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 13,754/2018 को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा लाइसेंस देने के लिए प्रस्तावित की गई भूमि, जिसे एल.पी.जी. वितरण की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया था, "उगनवान" मौजा के अंतर्गत आती है– अधिकारियों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। कार्यवाही की लंबित अवधि के दौरान, एल.पी.जी. वितरण का लाइसेंस पहले ही उस वर्ष के लिए उसी श्रेणी के एक अन्य व्यक्ति को सौंपा जा चुका है। इस प्रकार, तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो गए हैं।

इसलिए, अब अपीलकर्ता के पास केवल क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर करने का ही उपाय रह गया है।

इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, वर्तमान एल.पी.ए. खारिज की जाती है।

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 13754

में

2018 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1091

= =

विजय शर्मा, पिता– श्री रामदीन मिस्त्री गाँव–लखनु बीघा, पोस्ट–उगावन, थाना–अस्थावन, जिला–नालंदा, बिहार–811103 के निवासी।

... ...याचिकाकर्ता

बनाम्

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला मजिस्ट्रेट–सह–समाहर्ता, नालंदा, बिहारशरीफ।
3. उप–समाहर्ता भूमि सुधार, नालंदा, बिहारशरीफ।
4. अंचलाधिकारी, अस्थावन, नालंदा।
5. अचल अमीन, अस्थावन, नालंदा।
6. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्षेत्र प्रबंधक (एलपीजी), पटना के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।
7. उप प्रबंधक (एलपीजी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहारशरीफ।
8. सहायक प्रबंधक, विक्रय (एलपीजी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिहारशरीफ (पीवीसी समिति)।

.... उत्तरदाता/प्रतिवादी

= =

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से: श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता

श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता

श्रीमती. स्मिता प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री फखरुद्दीन अली अहमद, एसी से एएजी 12

बीपीसीएल के लिए: श्री सिद्धार्थ प्रसाद अधिवक्ता,

श्री ओम प्रकाश कुमार, अधिवक्ता

= =

कोरम (समक्ष): माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

दिनांक: 14–08–2018

2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13754 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और दिनांक 27.07.2018 के आदेश से व्यथित होने के कारण, मूल याचिकाकर्ता ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी है।

हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा गुण–दोष के आधार पर, विशेष रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा दी गई भूमि के पहलू पर, कई प्रस्तुतियाँ की गई हैं जो मौज़ा उगनवान के अंतर्गत आती हैं और इसलिए, अधिकारियों द्वारा एल. पी. जी. वितरण शुरू करने के लिए लाइसेंस आवंटित करने/देने से इनकार करना उचित नहीं था। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह विवाद में नहीं है कि कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान वर्ष के लिए एल.

पी. जी. वितरकत्व के लिए लाइसेंस पहले ही आवंटित किया जा चुका है और उसी श्रेणी से संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा चुका है और इसलिए, तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए गए हैं।

इसलिए, अपीलार्थी–रिट याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करना होगा। यदि अपीलार्थी–मूल रिट याचिकाकर्ता अभी भी व्यथित है, विशेष रूप से जब तीसरा पक्ष जिसके पक्ष में अब एल. पी. जी. वितरकत्व दिया जाता है, वह न्यायालय के समक्ष नहीं है।

केवल उपरोक्त आधार पर परिस्थितियों के तहत वर्तमान अपील खारिज कर दी जाती है।

(मुकेश आर. शाह, मुख्य न्यायाधीश)

(डॉ. रवि रंजन, न्यायमूर्ति)

एम.आर.एल./–

खण्डन (डिस्क्लेमर):– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।